FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0002 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 03/01/2025 17:03 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** सोमवार **Date From (दिनांक से):** 30/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 30/12/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:50 बजे **Time To (समय तक):** 20:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/01/2025 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 03/01/2025 17:03:19 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 63 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** GRAM PANCHAYAT BHAWAN, SATOLAV, SARWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** KANARAM VIASHNAV
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** NATHURAM URF NATHUDAS
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1993 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SANGANER, SARWAR, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SANGANER, SARWAR, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MUKESH KUMAR CHODHARY		पिता:RAMESHWAR CHODHARY	1. PUROHITAN,FHAGI,PHAGI, दूदू,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 8,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, निवेदन है कि मैं कानाराम वैष्णव पुत्र नाथूराम वैष्णव जाति वैष्णव निवासी गॉव सागानेर तहसील सरवाड़ जिला अजमेर राजस्थान का निवासी हू। मेरे पिता श्री नाथूराम के नाम गॉव ढिगारिया पटवार हल्का सनोदिया तहसील सरवाड़ जिला अजमेर में सामलाती कृषि भूमि है जिसके खसरा नम्बर 167 व 177 है। दिनांक 26.03.23 को मेरे पिता श्री नाथूराम वैष्णव की मृत्यु हो गयी। उनके नाम दर्ज कृषि भूमि का नामान्तरण हम वारिसान मेरे व भाई महावीर, शिवजी, मेरी माता श्रीमति रूकमादेवी एवं मेरी विवाहिता बहिन श्रीमति राधादेवी पत्नि कल्याणमल, श्रीमति रामकन्या पत्निश्री दयाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु मैने सभी कागजात मेरे पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, दोनो खसरो की जमाबन्दी की प्रतियॉं, हम सभी का शपथ पत्र, मेरा आधार कार्ड, पटवार हल्का सनोदिया तहसील सरवाड़ जिला अजमेर के श्री मुकेश कुमार पटवारी को दिनांक 26.12.24 को दे दिये। हम वारिसान के नाम कृषि भूमित का नामान्तरण दर्ज करने हेतु श्री मुकेश कुमार पटवारी ने दस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की। मैं पटवारी श्री मुकेश कुमार को मेरे जायज काम के लिए रिश्वत नही देना चाहता हू। मेरा पटवारी श्री मुकेश कुमार से उधार का लेन देन व किसी प्रकार का लेन देन बकाया नही है। पटवारी मुकेश कुमार को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। इसलिए मैने मेरे मोबाइल नम्बर [redacted] से एसीबी की हैल्प लाईन नम्बर 1064 पर सम्पर्क किया। रिपोर्ट देता हू कानूनी कार्यवाही करे। भवदीय -एसडी- (कानाराम पुत्रश्री नाथूराम वैष्णव) निवासी सागानेर तहसील सरवाड़ जिला अजमेर। मोबाइल नम्बर [redacted] दिनांक -30.12.24 दिनांक 30.12.2024 समय 08.00 पीएम दर्ज रहे की दिनांक 28.12.24 को समय 5.00 पी.एम. पर श्री भागचन्द्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर ने मन रूपसिह पुलिस उप अधीक्षक को मौखिक रूप से बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हेल्प लाईन नम्बर 1064 से निर्देश दिये की श्री कानाराम मोबाइल नम्बर [redacted] ने सूचना दी कि उससे हल्का पटवारी नामान्तरण दर्ज करने के लिए रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। उससे सम्पर्क कर विधिसम्मत कार्यवाही करे। इस पर श्री कानाराम से उसके मोबाइल नम्बर [redacted] से सम्पर्क करने पर उसने बताया कि सोमवार दिनांक 30.12.24 को मैं मेरे गॉव सागानेर या सरवाड़ में मिलूगॉं तथा यही पर कार्यवाही हेतु रिपोर्ट भी दे दूगा तथा मिलने पर पटवारी मुझसे रिश्वत राशि की मांग करेगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मुझे अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश दिये। श्री कानाराम के मोबाइल नम्बर [redacted] मुझे दिये। दिनांक 30.12.24 को मन् पुलिस उप अधीक्षक प्रकरण सख्या 160/23 विरूद्ध जाहिर मोहम्मद में अभियोजन स्वीकृति में विचार विमर्श हेतु स्वास्थ्य भवन जयपुर जाउगा, इसलिए दिनांक 30.12.24 को श्री कानाराम से सम्पर्क करने श्री सुरेन्द्र कुमार कानिस्टेबल न. 20 को भेजने का निर्णय लेकर श्री कानाराम के मोबाइल नम्बर [redacted] श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. को दिये व उसे समझाईश की कि वह डिजिटल वाईस रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड के लेकर श्री कानाराम के कहे अनुसार स्थान पर पहुच कर उससे कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्राप्त कर उसे डिजिटल वाईस रिकार्डर के संचालन की प्रक्रिया समझा कर मांग सत्यापन की कार्यवाही कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत करावे। दिनांक 30.12.24 समय 8.00 पी.एम. पर श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. न. 20 ने श्री कानाराम वैष्णव द्वारा पेश की गई हस्तलिखित रिपोर्ट, उसके आधार कार्ड, श्री नाथूदास के मृत्यु प्रमाण पत्र, गॉव ढिगारिया तहसील सरवाड़ जिला अजमेर के खसरा नम्बर 167,177 की कृषि भूमि की जमाबन्दी की स्वप्रमाणित प्रतियॉं व डिजिटल वाईस रिकार्डर पेश किया। श्री सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि उसे श्री कानाराम ने बताया कि उसके पिता का नाम श्री नाथूराम वैष्णव उर्फ श्री नाथूदास है। श्री कानाराम वैष्णव द्वारा पेश की गई हस्तलिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो श्री कानाराम ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट दी कि मेरे पिता श्री नाथूराम के नाम गॉव ढिगारिया पटवार हल्का सनोदिया तहसील सरवाड़ जिला अजमेर में सामलाती कृषि भूमि है जिसके खसरा नम्बर 167 व 177 है। दिनांक 26.03.23 को मेरे पिता श्री नाथूराम वैष्णव की मृत्यु हो गयी। उनके नाम दर्ज कृषि भूमि का नामान्तरण हम वारिसान मेरे व भाई महावीर, शिवजी, मेरी माता श्रीमति रूकमादेवी एवं मेरी विवाहिता बहिन श्रीमति राधादेवी पत्नि कल्याणमल, श्रीमति रामकन्या पत्निश्री दयाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु मैने सभी कागजात मेरे पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, दोनो खसरो की जमाबन्दी की प्रतियॉं, हम सभी का शपथ पत्र, मेरा आधार कार्ड, पटवार हल्का सनोदिया तहसील सरवाड़ जिला अजमेर के श्री मुकेश कुमार पटवारी को दिनांक 26.12.24 को दे दिये। हम वारिसान के नाम कृषि भूमित का नामान्तरण दर्ज करने हेतु श्री मुकेश कुमार पटवारी ने दस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की। मैं पटवारी श्री मुकेश कुमार को मेरे जायज काम के

लिए रिश्वत नही देना चाहता हू। मेरा पटवारी श्री मुकेश कुमार से उधार का लेन देन व किसी प्रकार का लेन देन बकाया नही है। पटवारी मुकेश कुमार को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। इसलिए मैने मेरे मोबाइल नम्बर [redacted] से एसीबी की हैल्प लाईन नम्बर 1064 पर सम्पर्क किया। रिपोर्ट देता हू कानूनी कार्यवाही करे। रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का होना पाया जाता है। श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. ने बताया कि मैने आज प्रातः 7.48 ए.एम. पर मेरे मोबाइल नम्बर [redacted] से श्री कानाराम वैष्णव के मोबाइल नम्बर [redacted] पर सम्पर्क कर अपना परिचय दिया व रिश्वत राशि के बारे में कार्यवाही हेतु वार्ता की तो उसने कहाँ कि मैं सरवाड़ में करीब 11 बजे मिलूगाँ तथा यहाँ पर ही कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दूगाँ। इस मैं कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को लेकर कार्यालय से समय 9.10 ए.एम. पर रवाना होकर रोडवेज से समय 11.00 बजे सरवाड़ कस्बा पहुॅचा। वहाँ श्री कानाराम वैष्णव से मोबाइल फोन से सम्पर्क किया जिस पर श्री कानाराम वैष्णव अपनी मोटर साईकिल से सरवाड़ बस स्टेण्ड पर मुझे मिला। हम दोनो ने आपस मे अपना अपना परिचय दिया। श्री कानाराम वैष्णव ने उक्त हस्तलिखित रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु मय दस्तावेज के प्रस्तुत की, उसने कहाँ अभी मैं पटवारी श्री मुकेश कुमार से मिलूगाँ तो वह मेरे से रिश्वत राशि की मांग करेगा। इस पर श्री कानाराम वैष्णव को डिजिटल वाईस रिकार्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाई गयी। हम दोनो वहाँ से परिवादी कानाराम की मोटर साईकिल से रवाना होकर तहसील कार्यालय सरवाड़ के पास पहुचे वहाँ श्री कानाराम वैष्णव ने अपने मोबाइल नम्बर [redacted] से पटवारी श्री मुकेश कुमार के मोबाइल नम्बर [redacted] पर फोन किया तो उसने कहाँ मैं सरवाड़ तहसील कार्यलय में हू। इस पर मैने कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर ऑन कर श्री कानाराम वैष्णव को सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु तहसील कार्यालय सरवाड़ की तरफ मुकेश कुमार पटवारी से मिलने रवाना किया तथा मन कानि. परिवादी के इन्तजार में गोपनीय रूप से तहसील कार्यालय के आसपास खडा रहा। कुछ समय पश्चात श्री कानाराम वैष्णव मेरे पास आया मैने उससे डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा। श्री कानाराम वैष्णव ने बताया कि मैं तहसील सरवाड़ में पहुचा वहाँ मुझे श्री मुकेश कुमार पटवारी मिला वह मुझे तहसील कार्यालय की छत पर ले गया वहाँ बातचीत के दौरान हमारा नामान्तरण खोलने के लिए उसने दस हजार रूपये रिश्वत राशि मांग की मेरे द्वारा कम करने की विनंती करने पर आठ हजार रूपये रिश्वत लेने हेतु सहमत हुआ तथा दो तीन दिन में रिश्वत राशि देने पर पॉच तारीख की ग्राम सभा में मेरा काम करने का कहा। श्री कानाराम वैष्णव को आठ हजार रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 31.12.24 को एसीबी कार्यालय अजमेर में आने हेतु हिदायत दी गयी, उसने कहाँ मैं दिनांक 31.12.24 को आठ हजार रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर दोपहर तक एसीबी कार्यालय अजमेर में उपस्थित हो जाऊगा। श्री कानाराम वैष्णव को वही छोडकर मैं बस से रवाना होकर कार्यालय में उपस्थित आया। डिजिटल वाईस रिकार्डर को ऑन कर सुना तो श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा बतायी गयी बातों की ताईद हुई तथा बातचीत में रिश्वत राशि मांगने की स्पष्ट वार्ता रिकार्ड है। परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट संलग्न कागजात सुरक्षित रखे व डिजिटल वाईस रिकार्डर पुनः अलमारी में रखा गया। वार्ता की परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। दिनांक 31.12.24 समय 12.20 पी.एम. को परिवादी कानाराम वैष्णव पुत्र नाथूराम वैष्णव उर्फ नाथुदास जाति वैष्णव उम्र 32 वर्ष पेशा प्राइवेट धंधा निवासी गॉव सागानेर तहसील सरवाड़ जिला अजमेर राजस्थान कार्यालय में उपस्थित हुआ है। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना परिचय दिया। श्री कानाराम ने एक हस्तलिखित रिपेर्ट दिनांक 30.12.2024 को श्री सुरेन्द्र कुमार, कानि0 को सरवाड में पेश करना बताया। रिपोर्ट उसे दिखाई तो उसने स्वयं की हस्तलिखित होना बताया। श्री कानाराम वैष्णव ने बताया कि मेरे पिता को नाथुराम वैष्णव उर्फ नाथुदास के नाम से जाना व पहचाना जाता है। मैं अहमदाबाद में प्राइवेट धंधा करता हूं। मेरे पिता की मृत्यु उपरांत काश्तभुमि का नामातंरण हम भाई-बहनों, मेरी माता के नाम दर्ज कराने की कार्यवाही करने हेतु मेरे भाई श्री महावीर, शिवजी, माता रूकमा देवी व बहन राधा देवी व रामकन्या ने मुझे मौखिक रूप से अधिकृत किया इसलिए मैंने नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही करने हेतु पटवारी श्री मुकेश कुमार से मिला तथा दिनांक 26.12.2024 को सरवाड कस्बे में मेरे पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, मेरे पिता की जमीन के खसरा नं0 177, 167, 420, 1759, 1790 की जमाबन्दी की प्रतियां, शपथ पत्र व मेरा आधार कार्ड हल्का पटवारी को दिए। हमारी पैतृक जमीन गांव ढिगारियां, सनोदिया, सातोलाव में आई हुई है। मेरे पिता का नाम नाथुदास उर्फ नाथुराम व मेरे दादा का नाम मुकुन्ददास उर्फ मगनदास है, उसने नामान्तरण दर्ज करने के लिए 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। दरियाप्ति पर हस्तलिखित रिपेर्ट में वर्णित तथ्यों की ताईद की। परिवादी द्वारा हल्का पटवारी मुकेश कुमार को मांग के अनुसार दी जाने वाली रिश्वत राशि आठ हजार रूपये साथ लेकर आना बताया। श्री कानाराम वैष्णव ने बताया कि आज मेरे से हल्का पटवारी श्री मुकेश कुमार रिश्वत राशि ले लेगा। तत्पश्चात श्री चतर सिह कानिस्टेबल न. 17 को स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु मुख्य प्रबंधक, सीबीएस, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, अजमेर के नाम पत्र मूर्तिब कर सीबीएस, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, अजमेर रवाना किया, जो मय दो स्वतंत्र गवाहान मुख्य प्रबंधक, सीबीएस, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, अजमेर के कार्यालय के हाजिर आया। हर देने को अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना परिचय श्री सुरेश कुमार नायक पुत्र श्री सुरज करण नायक जाति नायक उम्र 45 साल निवासी सोंकलिया पुलिस थाना सराणा जिला अजमेर हाल परिचालक सी.बी.एस. आगार राजस्थान

राज्य पथ परिवहन निगम, लि. अजमेर मोबाइल नम्बर [redacted] व श्री हेमन्त कुमार टाक पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश टाक उम्र 42 साल जाति टाक कलाल निवासी कच्छावा कॉलोनी छावनी ब्यावर पुलिस थाना ब्यावर शहर जिला ब्यावर हाल परिचालक सी.बी.एस. आगार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, लि. अजमेर मोबाइल नम्बर 70143-03390 होना बताया। जिस पर दोनो गवाहान व पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री कानाराम का आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.12.2024 गवाहन को पढकर सुनाया गया व दिखाया गया। कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखे वॉयस रिकॉर्डर को मय मैमोरी कार्ड के निकाला जाकर वॉयस रिकॉर्डर को चालु करके गवाहन को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश सुनाये गये। गवाहान ने अब तक की कार्यवाही से संतुष्ट होकर आगामी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाहे जाने पर दोनो ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों पर गवाहान द्वारा अपने अपने हस्ताक्षर किये। कार्यवाही के दौरान तलबशुदा विडियोग्राफर देवेन्द्र कुमार फतनानी पुत्र स्व. श्री लीलाराम फतनानी उम्र 49 साल जाति सिन्धी निवासी शांति नगर मलूसर रोड पुलिस थाना क्लॉट टॉवर जिला अजमेर मोबाईल नंबर [redacted] उपस्थित हुआ है जिसका पूर्व में उपस्थित गवाहान व परिवादी से परिचय करवाया गया। कार्यवाही में आवशकता होने पर प्राइवेट वाहन को मय चालक तलब किया गया। दिनांक 31.12.24 समय 02.45 पी.एम पर परिवादी श्री कानाराम वैष्णव को दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 16 नोट कुल 8000 रूपये पेश किये, जिसका विवरण इस प्रकार है। क्र.सं. नोट का प्रकार नोट नम्बर 1 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 5TD018071 2 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 9PK996427 3 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0SC088455 4 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 2GS866487 5 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0VR512786 6 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 7UC291443 7 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 6WT 588815 8 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 1QA 563380 9 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 7SP 358464 10 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 5CF518394 11 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 6HT725892 12 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 5CH386843 13 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 5HG 184664 14 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 9HG 353541 15 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 5UC 859840 16 पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 4CV 985112 जिन पर श्री किरण कुमार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी में से फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवायी जाकर कार्यालय कक्ष में स्थित टेबल के उपर अखबार पर नोटो को रखकर उपरोक्त नोटो के दोनों ओर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री कानाराम वैष्णव की जामा तलाशी गवाह श्री सुरेश कुमार नायक से लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नही पाई गई। श्री कानाराम के गर्म स्वेटर की जेब में उसका मोबाइल फोन व 150 रूपये रहने दिये गये। फिनोलफ्थलीन पाउडर लगे नोटो को श्री किरण कुमार वरिष्ठ सहायक से परिवादी श्री कानाराम वैष्णव की पहने हुए लोवर की सामने की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुये रखवाई गई, तत्पश्चात् एक पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर, उसमें भरकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री किरण कुमार वरिष्ठ सहायक की दोनो हाथो की अंगुलियों व अगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोलफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया प्रदर्शित कर एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अगूठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री किरण कुमार वरिष्ठ सहायक से फिकवाया एवं जिस पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक के गिलास, अखबार जिस पर नोट रखकर फिनोफ्थीलन पाउउर लगाया उन दोनो को नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुनः श्री किरण कुमार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी में रखवायी गई। परिवादी श्री कानाराम वैष्णव को हिदायत दी गई कि वह आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे। परिवादी श्री कानाराम वैष्णव को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे देने के बाद अपने मोबाईल फोन से मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन पर कॉल करके या मिस कॉल कर अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। नोटों के विवरण फर्द में अंकित कर फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। श्री किरण कुमार, वरिष्ठ लिपिक को कार्यवाही से पृथक किया गया। समस्त ट्रेप दल को कार्यवाही के बारे संक्षिप्त रूप से अवगत कराया गया। प्राइवेट वाहन मय चालक के उपस्थित आया। समय 03.15 पी.एम. पर मन् रूप सिह उप अधीक्षक पुलिस मय, स्वतन्त्र गवाह श्री सुरेश कुमार नायक, श्री हेमन्त कुमार टाक, जाप्ता श्री बच्छराज सिंह उप निरीक्षक पुलिस, श्री श्यामप्रकाश सहायक उप निरीक्षक, श्री अर्जुन कानि0, श्री मनोज कुमार कानि0, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि नम्बर 20 व श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17 व परिवादी श्री कानाराम वैष्णव के मय विडियोग्राफर श्री देवेन्द्र कुमार फतनानी मय लैपटॉप/प्रिन्टर ट्रेपबॉक्स, अनुसंधान सामग्री, कार्यवाही पत्रावली व डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड लेकर

सरकारी बोलेरो वाहन मय चालक व प्राइवेट वाहन मय चालक के कार्यालय से अग्रिम कार्यवाही हेतु सरवाड तरफ रवाना होकर सरवाड से करीब 5 किलोमीटर पहले पहुंचें। वहां पर हल्का पटवारी श्री मुकेश कुमार के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर ऑन कर श्री कानाराम वैष्णव से उसके मोबाइल नम्बर [redacted] से पटवारी श्री मुकेश कुमार के मोबाइल नम्बर [redacted] पर वार्ता कराई तो श्री मुकेश कुमार ने कहा मैं आज सांवरिया जी आ गया हूं। कल 4-5 बजे मिलूंगा। वार्ता डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई, वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। हल्का पटवारी श्री मुकेश कुमार ने कल 4-5 बजे मिलने का कहा है, इसलिए अग्रिम कार्यवाही आईन्दा किया जाना तय किया। रिश्वती राशि परिवादी श्री कानाराम वैष्णव से एक अखबार में रखवाई जाकर, लपेटकर ट्रेप बॉक्स में रखी गई। परिवादी को हिदायत दी कि कल दिनांक 01.01.2025 को पटवारी मुकेश कुमार के बारे में जानकारी प्राप्त कर अवगत करावें तथा रिश्वत राशि लेनदेन हेतु उसके बुलाने पर कोई बहाना कर समय लेवे। परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूख्सत किया गया। समय 04.45 पी.एम. मन् रूप सिह उप अधीक्षक पुलिस मय, स्वतन्त्र गवाह श्री सुरेश कुमार नायक, श्री हेमन्त कुमार टाक, जाप्ता श्री बच्छराज सिंह उप निरीक्षक पुलिस, श्री श्यामप्रकाश सहायक उप निरीक्षक, श्री अर्जुन कानि0, श्री मनोज कुमार कानि0, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि नम्बर 20 व श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17 के मय विडियोग्राफर श्री देवेन्द्र कुमार फतनानी मय लैपटॉप/प्रिन्टर ट्रेपबॉक्स, अनुसंधान सामग्री, कार्यवाही पत्रावली व डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड लेकर सरकारी बोलेरो वाहन मय चालक व प्राइवेट वाहन मय चालक के कार्यालय जाने हेतु रवाना होकर कार्यालय में हाजिर आए। दिनांक 01.01.2025 को अग्रिम कार्यवाही होने की संभावना है। स्वतंत्र गवाहान व विडियोग्राफर श्री देवेन्द्र कुमार फतनानी को हिदायत देकर रवाना किया। ट्रेपबॉक्स में से अखबार में लपेटी रिश्वत राशि निकालकर अलमारी में सुरक्षित रखी गई। दिनांक 01.01.25 को परिवादी श्री कानाराम वैष्णव ने अपने मोबाइल नम्बर [redacted] से मन् पुलिस उप अधीक्षक को कॉल कर बताया कि मैंने हल्का पटवारी श्री मुकेश कुमार को उसके मोबाईल नंबर पर फोन किया परन्तु उसका फोन स्विच ऑफ होना पाया गया। इस पर उसे अवगत कराया कि पटवारी से वार्ता होने पर रिश्वत राशि की लेनदेन हेतु कोई बहाना कर समय लेवे। गवाह श्री सुरेश कुमार नायक व श्री हेमन्त कुमार टाक कार्यालय में हाजिर आए। तत्पश्चात् परिवादी श्री कानाराम वैष्णव ने अपने मोबाइल नम्बर [redacted] से मन् पुलिस उप अधीक्षक को कॉल कर बताया कि मैंने हल्का पटवारी श्री मुकेश कुमार को उसके मोबाईल नंबर पर फोन किया परन्तु उसने फोन नहीं उठाया। इस पर उसे अवगत कराया कि पटवारी से वार्ता होने पर रिश्वत राशि की लेनदेन हेतु कोई बहाना कर समय लेवे। परिवादी ने बताया कि आज सर्दी का मौसम होने से शाम के समय पटवारी के मिलने की संभावना नहीं है। आज अग्रिम कार्यवाही होने की संभावना नहीं है। अतः दोनो गवाहान को हिदायत देकर कार्यालय से समय 06.00 पीएम पर रूख्सत किया गया। दिनांक 02.01.25 समय 08.25 ए.एम. पर परिवादी श्री कानाराम ने मोबाइल नम्बर [redacted] पर संपर्क कर अग्रिम कार्यवाही के बारे में जानकारी चाही तो उसने कहा कि मैं पटवारी श्री मुकेश कुमार से वार्ता कर आपको अवगत करा दूंगा। तत्पश्चात् श्री कानाराम वैष्णव ने मोबाईल नंबर [redacted] से मन पुलिस उप अधीक्षक को फोन कर अवगत कराया कि मेरी श्री मुकेश कुमार से जरिए मोबाईल फोन वार्ता हुई है, उसने कहा कि मैं आज करीब 11-12 बजे सातोलाव ग्राम पंचायत भवन में जन सुनवाई में रहूंगा। वहां आ जाना। परिवादी ने बताया कि मेरे मोबाइल नम्बर [redacted] का नेटवर्क कम होने से मेरे उक्त मोबाईल नंबर से भी वार्ता की जा सकती है। परिवादी ने बताया कि आज सातोलाव गांव में श्री मुकेश कुमार मेरे से रिश्वत राशि की लेनदेन कर लेगा। इस पर परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में सरकारी वाहन बोलेरो की पहचान हो सकती है, इसलिए दो प्राइवेट वाहन व विडियोग्राफर श्री देवेन्द्र फतनानी को तलब किया गया, जो दो प्राइवेट वाहन (आरजे 01 टीए 4419 व आरजे 01 टीबी 3033) मय चालक व विडियोग्राफर श्री देवेन्द्र फतनानी हाजिर आए। दोनो गवाहान को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया तो गवाह श्री सुरेश कुमार ने रास्ते में अपना गांव सोकलिया में मिलना बताया व गवाह श्री हेमन्त कुमार ने कार्यालय में उपस्थित होना बताया। श्री हेमन्त कुमार कार्यालय में हाजिर आए। अखबार में लपेटकर रखी गई 8000 रूपये रिश्वती राशि को उसी अवस्था में अलमारी से गवाह श्री हेमन्त कुमार से निकलवायी जाकर ट्रेप बॉक्स में रखी गई। दिनांक 02.01.25 समय 10.50 ए.एम पर मन् रूप सिह उप अधीक्षक पुलिस मय, स्वतन्त्र गवाह श्री हेमन्त कुमार टाक, जाप्ता श्री बच्छराज सिंह उप निरीक्षक पुलिस, श्री कैलाश चारण हेडकानि0 62, श्री अर्जुन कानि0, श्री मनोज कुमार कानि0 01, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि नम्बर 20 व श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 308, श्री प्रदीप सिंह स्टेनो के मय विडियोग्राफर श्री देवेन्द्र कुमार फतनानी मय लैपटॉप/प्रिन्टर ट्रेपबॉक्स, अनुसंधान सामग्री, कार्यवाही पत्रावली व डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड लेकर दो प्राइवेट वाहनों से मय चालकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु सरवाड तरफ रवाना होकर गांव सोकलिया पहूंचे, जहां आम रोड पर गवाह श्री सुरेश कुमार हाजिर मिले। उन्हे अग्रिम कार्यवाही हेतु हमराह लेकर सरवाड तरफ रवाना हो रास्ते में मन पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी के मोबाईल नंबर [redacted] पर संपर्क कर उसे सरवाड कस्बे में मिलने हेतु बुलाया। उसने कहा सरवाड कस्बे में अजमेर रोड पर स्थित इण्डियन ऑयल पंप के पास मिलूंगा। हम जाप्ता सरवाड कस्बे में अजमेर रोड पर स्थित इण्डियन ऑयल पंप के पास पहूंचे। जहां इन्तजार के दौरान परिवादी श्री कानाराम वैष्णव अपनी मोटरसाइकिल से हाजिर आया।

परिवादी श्री कानाराम वैष्णव का परिचय हमराह श्री रविन्द्र सिंह कानि0 308 से कराया तथा दोनो के मोबाईल नंबरों का आदान प्रदान किया तथा पटवारी श्री मुकेश कुमार से वार्ता कराना तय कर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर में मैमोरी कार्ड डालकर ऑन कर श्री कानाराम वैष्णव से अपने मोबाइल नम्बर[redacted]से पटवारी श्री मुकेश कुमार के मोबाइल नम्बर[redacted] पर वार्ता कराई तो पटवारी ने कहा कि मैं अभी तो सरवाड में जोधाणा होटल के आसपास हूं तथा सातोलाव जा रहा हूं। वार्ता डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी व श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को परिवादी की मोटरसाईकिल से पटवारी मुकेश कुमार के कहेनुसार सातोलाव तरफ भेजने का निर्णय लेकर ट्रेपबॉक्स में अखबार में लपेटकर रखी रिश्वती राशि को गवाह श्री हेमन्त कुमार से अखबार से निकालकर परिवादी श्री कानाराम वैष्णव के लोवर के दाहीनीं जेब में रखवाई तथा अखबार को जलाकर मौके पर नष्ट किया गया। दिनांक 02.01.25 समय 12.30 पी.एम पर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 308 को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर कानि0 व परिवादी श्री कानाराम वैष्णव को परिवादी की मोटरसाइकिल से हिदायत देकर सातोलाव तरफ रवाना किया तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता व हमरायान के प्राइवेट वाहनों से सातोलाव तरफ रवाना कर उनके पीछे मन् रूप सिह उप अधीक्षक पुलिस मय, स्वतन्त्र गवाह श्री हेमन्त कुमार टाक व श्री सुरेश कुमार, जाप्ता श्री बच्छराज सिंह उप निरीक्षक पुलिस, श्री कैलाश चारण हेडकानि0 62, श्री अर्जुन कानि0, श्री मनोज कुमार कानि0 01, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि नम्बर 20 व श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17, श्री प्रदीप सिंह स्टेनो के मय विडियोग्राफर श्री देवेन्द्र कुमार फतनानी मय लैपटॉप/प्रिन्टर ट्रेपबॉक्स, अनुसंधान सामग्री, कार्यवाही पत्रावली व दो प्राइवेट वाहनों से मय चालकों के गांव सातोलाव पहूंचा। वहां आम रोड पर गांव से पहले श्री रविन्द्र सिंह व परिवादी श्री कानाराम हाजिर मिले। श्री कानाराम वैष्णव ने बताया कि श्री मुकेश कुमार पटवारी ग्राम पंचायत भवन सातोलाव में होना जानकारी में आया है। मैं थोडी देर बादं रिकार्डर लेकर श्री मुकेश कुमार पटवारी से मिलने जाउंगा। श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को माकूल हिदायत दी कि परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर ग्राम पंचायत भवन सातोलाव तरफ उसके कहेनुसार रवाना कर दिया जाए। हम जाप्ता रविन्द्रसिंह को देखते हुए गोपनीय रूप से ग्राम पंचायत भवन सातोलाव के आसपास खडे रहे। समय 01.48 पीएम पर कानि0 श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को ईशारा कर रिश्वत राशि आदान-प्रदान बाबत अवगत करवाया गया जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता, गवाहान, विडियोग्राफर के दोनों प्राइवेट वाहनों से रवाना होकर ग्राम पंचायत भवन सातोलाव परिसर पहूंचे। जहां प्राइवेट वाहनो से उतरकर वाहनो व चालको को परिसर में खडा रहने पाबंद कर अटल सेवा केन्द्र(ग्राम पंचायत भवन) सातोलाव तहसील सरवाड जिला अजमेर के अन्दर की प्रवेश किया जंहा पर बांयी तरफ बने एक कमरे में परिवादी श्री कानाराम व श्री रविन्द्र सिंह कानि0 उपस्थित मिले। श्री रविन्द्र सिंह कानि0 308 ने वायॅस रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बन्द अवस्था मे सुपुर्द किया, जिसे सुरक्षित रखा गया। मौके पर उपस्थित परिवादी ने काले रंग की जैकेट पहने हुए कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति को पटवारी मुकेश कुमार होना अवगत करवाते हुये बताया कि 8000 रूपये लेकर इन्होने अपनी पहनी हुई जैकेट मे रख लिये। कक्ष में कुर्सी पर बैठे हुये अन्य दो व्यक्तियों को धनराज गुर्जर, सरपंच एंव श्री सुरेश चन्द्र प्रजापत ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सातोलाव पंचायत समिति सरवाड जिला अजमेर होना अवगत करवाया गया, जिन्हे कक्ष में बैठे रहने की हिदायत दी गई।मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री अपना व हमराहीयान का परिचय देकर परिवादी द्वारा बताये हुये व्यक्ति जिसने काले रंग की जैकेट पहनी हुई थी से परिचय पूछा तो अपना नाम व पता मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर चौधरी जाति जाट उम्र 28 साल निवासी गांव पुरोहितान तहसील व पुलिस थाना फागी जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का सनोदिया तहसील सरवाड जिला अजमेर होना बताया। श्री मुकेश कुमार चौधरी से परिवादी श्री कानाराम वैष्णव से ली गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया कि इन्होने अपनी मर्जी से ही 8000 रूपये दिये है मैने कोई दबाव नही बनाया। इसने जो 8000 रूपये दिये वो मेरी जैकेट की दाहिनी जेब में है। मौके पर मौजूद परिवादी ने आरोपी के कथन का खण्डन करने हुये बताया कि इन्होने मेरे से नामान्तकरण खोलने की एवज में रिश्वत ली। रिश्वत राशि आदान प्रदान की सन्तुष्टी होने पर अग्रिम कार्यवाही मौके पर किये जाने हेतु श्री धनराज गुर्जर व श्री सुरेश चन्द्र प्रजापत को एक कक्ष व टेबल कुर्सी आदि उपलब्ध करवाने हेतु अगवत करवाया गया जिस पर श्री सुरेश चन्द्र प्रजापत ग्राम सेवक द्वारा सामने की तरफ बने हुये कक्ष में आगामी कार्यवाही करने हेतु कहा गया, वाहनों से ट्रेप बॉक्स व कार्यवाही से संबंधित अन्यसामग्री, मंगवाई गई। जिस पर श्री मुकेश कुमार चौधरी को हमराह लिया जाकर मय हमराहीयान के कक्ष में पहुंच कर आगामी कार्यवाही आरम्भ की गई। रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे पूछने पर स्वतः ही श्री मुकेश कुमार चौधरी ने अपने पहनी जैकेट से 500-500 रूपये के कुछ नोट निकाले जिन्हे जिन्हे गवाह श्री सुरेश कुमार नायक से गिनवाया एंव पूर्व के फर्द पेशकशी से मिलान दोनो गवाहान द्वारा किया गया। गवाह श्री हेमन्त कुमार द्वारा नोटो के नम्बर बोले गये एंव श्री सुरेश कुमार नायक द्वारा फर्द पेशकशी से मिलान किया गया तो 500-500 रूपये 16 नोट कुल 8000 रूपये होना बताया गया। नोटो का विवरण फर्द पेशकशी के अनुसार हूबहू होना पाया गया। उक्त रिश्वत राशि को गवाह श्री सुरेश कुमार नायक के पास सुरक्षित रखा गया।तत्पश्चात मुकेश कुमार चौधरी के हाथो के धोवणहेतु ग्राम पंचायत परिसर से ही पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो पारदर्शी प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को

दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में श्री मुकेश कुमार चौधरी के दाहिने हाथ व बायें हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवण का रंग गुलाबी एंव बांये हाथ के धोवण का रंग मटमैला हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर क्रमशः मटमैला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच साफ शिशियो में दाहिने व बांये हाथ के धोवण को पृथक पृथक दो-दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर व धोवण की शिंशियों पर मार्क क्रमशः आर.एच.- 1 , आर.एच.- 2, एल.एच.-1 व एल.एच.- 2 अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। श्री मुकेश कुमार चौधरी के पहने हुये जैकेट की दाहिनी जेब के धोवण हेतु ग्राम पंचायत परिसर सेही पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी प्लास्टिक का नया डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उसमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया।श्री मुकेश कुमार चौधरी के पहने हुये जैकेट को उतरवाया जाकर उक्त जैकेट की दाहिनी जेब को उलटवाकर जेब को उपरोक्त धोवण में डालकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग मटमैला हो गया। तत्पश्चात दो कांच साफ शिशियो मेंउक्त धोवण को पृथक-पृथक आधा-आधा भरकर व धोवण की शिंशियों पर मार्क जे -1 व जे-2 अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया।तत्पश्चात आरोपी श्री मुकेश कुमारचौधरी की पहनी हुई जैकेट जिसकी दाहिनी जेब में रिश्वत राशि बरामद हुई है, उस जैकेट की जेब को धूप मे सुखाया जाकर जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर। जैकेट बरंग काला को सफेद कपडे की थैली में रखाकर जाकर थैली पर विवरण अंकित किया जाकर कपडे की थैली को सील्ड किया जाकर मार्क जे अंकित किया गया। गवाह श्री सुरेश कुमार नायक के पास सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि 8000 रूपये पर एक सफेद कपडे की चिट लगाकर कपडे पर विवरण अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर रिश्वत राशि को सिल चिट किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी के पास रिश्वत राशि के अतिरिक्त पर्स में मिले 1652 रूपये, आरोपी का स्वंय का आधार कार्ड, आरजीएचएस कार्ड,एसबीआई एटीएम कार्ड एंव मोबाईल फोन कम्पनी सैमसंग मॉडल ए 34 जिसमें जिओ कम्पनी की सिम मोबाईल फोन सिम नम्बर [redacted] मिले जो गवाह श्री हेमन्त कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये थे, जो प्रकरण से सम्बन्धित नही होने से श्री मुकेश कुमार चौधरी के बताए अनुसार सम्बन्धित को सुपुर्द किये जायेंगे। पूछने पर परिवादी श्री कानाराम ने बताया कि श्री रविन्द्र सिंह ने मुझे वायॅस रिकॉर्डर चालू करके पंचायत भवन से करीब 100 मीटर पहले दे दिया मै मेरी मोटर साईकिल से पंचायत भवन आया जंहा पर कमरे मे सरंपच साहब, ग्राम विकास अधिकारी एंव पटवारी श्री मुकेश कुमार जी कुर्सी पर बैठे हुये थे। मुकेश कुमार जी मोबाईल फोन पर किसी से बात कर रहे थे । मैने मुकेश जी को ईशारा किया और मै कक्ष से निकल कर हॉल मे आ गया। थोडी देर मे ही मुकेश जी मेरे पास आ गये तथा मुझे कहा कि आपका जन आधार कार्ड व आपके पापा का आधार कार्ड भेज देना। फिर मैने इन्हे रिश्वत राशि 8000 रूपये निकाल कर दिये जो रूपये लेकर पटवारी जी ने अपनी जैकेट की जेब मे बिना गिने ही अपने हाथ से रख लिये मैने कहा भी था कि गिन लो पूरे आठ हजार है। फिर हमारे बीच में नामान्तकरण खोलने की बात हुई। मुकेश जी ने कहा कि कहा कि आपके दादाजी के नाम भी जमीन है उसके मृत्यु प्रमाण पत्र का क्या हुआ यह बातचीत करते हुये हम वापस रूम में आ गये। मैने मुकेश जी को कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र तो सेकेट्री साहब बनाऐंगें आप इनका बता दो। इसी दौरान मैने श्री रविन्द्र जी को रिश्वत राशि आदान प्रदान का ईशारा मेरे मोबाईल फोन से उनके मोबाईल फोन पर किया गया। थोडी देर में ही रविन्द्र जी व आप लोग आ गये। आरोपी श्री मुकेश चौधरी ने बताया कि मैने रूपये देने के लिये कोई दबाव नही दिया था इन्होने ही मुझे रूपये दिये थे। तत्पश्चात आरोपी से परिवादी श्री कानाराम द्वारा विरासत के नामान्तकरण हेतु परिवादी द्वारा दिए गए दस्तावेजात के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया कि शपथ पत्र व जमाबन्दी थी आधार कार्ड नही दिया था जो स्वंय के बैग में होना अवगत करवाया गया एंव बैग सामने कक्ष मे होना बताया। जिस पर आरोपी श्री मुकेशकुमार चौधरी, गवाहान एंव परिवादी श्री कानाराम को हमराह लेकर सामने स्थित कक्ष मे रखे बैग में से परिवादी से सम्बन्धित कागजात बैग में से आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी ने प्रस्तुत किये प्रस्तुत शुदा पचास रूपये का स्टाम्प पत्र,जमाबन्दी प्रस्तुत की जिनके प्रत्येक पेज पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिनका विवरण इस प्रकार है:- 1. पचास रूपये का एक शपथ पत्र जो कि श्री कानाराम वैष्णव द्वारा दिनांक 24.12.2024 को खरीद किया हुआ है, जिस पर अपने पिता श्री नाथूदास पुत्र मंगन दास का कुर्सीनामा अंकित है। उक्त शपथ पत्र परिवादी द्वारा विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने बाबत प्रस्तुत किये जाने बाबत बताया है। 2. एक जमाबन्दी खसरा नम्बर 167 ग्राम ढिगारिया पटवार हल्का सनोदिया जिसमें क्रम संख्या 3 पर परिवादी के पिता श्री नाथूदास पुत्र मुकन दास काश्तकार के रूप में दर्ज है। उक्त जमाबन्दी परिवादी द्वारा विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने बाबत प्रस्तुत किये जाने बाबत बताया है। 3. एक जमाबन्दी खसरा नम्बर 177 ग्राम पटवार हल्का सनोदिया जिसमें क्रम संख्या 8 पर परिवादी के पिता श्री नाथूदास पुत्र मुकन दास काश्तकार के रूप में दर्ज है। उक्त जमाबन्दी परिवादी द्वारा विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने बाबत प्रस्तुत किये जाने बाबत बताया है। 4. एक जमाबन्दी खसरा नम्बर 420 ग्राम सनोदिया पटवार हल्का सनोदिया जिसमें क्रम संख्या 2 पर परिवादी के पिता श्री नाथू पुत्र मगन दास काश्तकार के रूप में दर्ज है। उक्त जमाबन्दी परिवादी द्वारा विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने बाबत प्रस्तुत किये जाने बाबत बताया है। 5. एक जमाबन्दी खसरा नम्बर 1759,1790 ग्राम

सातोलाव पटवार हल्का सातोलाव जिसमें क्रम संख्या 7 पर परिवादी के पिता श्री नाथूदास पुत्र मुकन दास काश्तकार के रूप में दर्ज है। उक्त जमाबन्दी परिवादी द्वारा विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने बाबत प्रस्तुत किये जाने बाबत बताया है। उक्त समस्त दस्तावेज को कब्जा एसीबी लिया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी ने बताया कि मेरे दादाजी का नाम मुकन दास है परन्तु राजस्व में रिकॉर्ड में कंही कंही पर मंगलदास दर्ज किया हुआ है। कार्यवाही की विडियोग्राफी आवश्यकता अनुसार विडियोग्राफर श्री देवेन्द्र फतनानी से करवाई गई, विडियोग्राफी पृथक से प्राप्त की जाएगी। फर्द पर नमूना सिल अंकित की गई। कार्यवाही के दौरान श्री भागचन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मौके पर मय राजकीय वाहन के उपस्थित आए व आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर चौधरी उम्र 28 साल जाति जाट निवासी टिकेल पुरोहितान, तहसील फागी पुलिस थाना फागी, जिला जयपरु हाल, पटवारी पटवार हल्का सनोदिया तहसील सरवाड जिला अजमेर के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) प्रमाणित पाया गया है। आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी को गिरफ्तार कर फर्द पृथक से मूर्तिब की गई। तत्पश्चात् घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द मूर्तिब की गई। विडियोग्राफी कराई गई। कार्यवाही में आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर चौधरी जाति जाट उम्र 28 साल निवासी गांव पुरोहितान तहसील व पुलिस थाना फागी जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का सनोदिया तहसील सरवाड जिला अजमेर के पास जामा तलाशी में रिश्वत राशि के अतिरिक्त पर्स में मिले 1652 रूपये, आरोपी का स्वंय का आधार कार्ड, आरजीएचएस कार्ड, एसबीआई एटीएम कार्ड एंव मोबाईल फोन कम्पनी सैमसंग मॉडल ए 34 जिसमें जिओ कम्पनी की सिम नंबर [redacted], एक स्कूल बैग व मोटरसाइकिल नंबर आरजे 47 एसजी 5518 मय चाबी मिली,जो प्रकरण की कार्यवाही से संबंधित नहीं होने से श्री मुकेश कुमार चौधरी, पटवारी के कहेनसार मौके पर उपस्थित श्री कानाराम तेली को सुपुर्द की जाकर रसीद प्राप्त की गई। कार्यवाही के दौरान श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय आवश्यक निर्देश देकर जाय तैनाती रवाना हुए। दिनांक 02.01.25 समय 06.10 पी.एम पर प्रकरण में मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करना है। परिवादी श्री कानाराम वैष्णव ने बताया कि आज मैं लंबे समय ~~तक~~ इधरउधर चलने के कारण थका हुआ हूं। अतः उक्त कार्य कल दिनांक 03.01.2025 को करने का निर्णय लेकर परिवादी को सुबह 09.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूख्सत किया गया। दिनांक 02.01.25 समय 06.15 पी.एम पर मन् रूप सिह उप अधीक्षक पुलिस मय, स्वतन्त्र गवाह श्री हेमन्त कुमार टाक व श्री सुरेश कुमार, जाप्ता श्री बच्छराज सिंह उप निरीक्षक पुलिस, श्री कैलाश चारण हेडकानि0 62, श्री अर्जुन कानि0, श्री मनोज कुमार कानि0 01, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि नम्बर 20 व श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 308, श्री प्रदीप सिंह स्टेनो के मय विडियोग्राफर श्री देवेन्द्र कुमार फतनानी मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी पटवारी व कार्यवाही के दौरान प्राप्त व जप्तशुदा आर्टिकल मय लैपटॉप/प्रिन्टर ट्रेपबॉक्स, अनुसंधान सामग्री, कार्यवाही पत्रावली व डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड लेकर दो प्राइवेट वाहनों से मय चालकों के कार्यालय जाने रवाना होकर कार्यालय में हाजिर आया। आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी का स्वास्थ्य परीक्षण करा उसे खाना खिलाकर पुलिस थाना सिविल लाईन में हवालात में रखने सुपुर्द किया। गवाहान, विडियोग्राफर व वाहन चालकों को हिदायत देकर रवाना किया व प्रकरण में जप्तशुदा आर्टिकल मार्क आरएच1, आरएच2, एलएच1, एलएच2, जे1, जे2, जे सिल्ड अवस्था में व 8000 रूपये रिश्वत राशि का सिलचिट पैकेट मालखाना प्रभारी को सुरक्षित संभलाए गए। दिनांक 03.01.25 को परिवादी श्री कानाराम वैष्णव पुत्र नाथूराम वैष्णव जाति वैष्णव निवासी गॉव सागानेर तहसील सरवाड़ जिला अजमेर राजस्थान व गवाह श्री हेमन्त कुमार व श्री सुरेश कुमार नायक कार्यालय में हाजिर आए। परिवादी श्री कानाराम वैष्णव व गवाह श्री हेमन्त कुमार व श्री सुरेश कुमार नायक की मौजूदगी में दिनांक 30.12.2024 को परिवादी श्री कानाराम वैष्णव व आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वार्ता शब्द-ब-शब्द परिवादी व गवाहान को सुनाकर श्री सुरेन्द्र कुमार कानि0 20 से तैयार कराई गई। मैमोरी कार्ड की वार्ता के दो पेन ड्राइव तैयार किए गए, जिसमें एक को आरोपी के लिए व एक अनुसंधान अधिकारी के लिए रखा जाएगा। मूल मैमोरी कार्ड की हैजवैल्यू निकाली गई। वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को एक प्लास्टिक बॉक्स में रखकर उसे एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट किया गया, नमूना सिल अंकित की गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री कानाराम वैष्णव व गवाह श्री हेमन्त कुमार व श्री सुरेश कुमार नायक की मौजूदगी में दिनांक 31.12.2024 व दिनांक 02.01.2025 को परिवादी श्री कानाराम वैष्णव व आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी के मध्य मोबाईल फोन पर व रिश्वत राशि लेनदेन की वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वार्ता शब्द-ब-शब्द परिवादी व गवाहान को सुनाकर श्री सुरेन्द्र कुमार कानि0 20 से तैयार कराई गई। मांग सत्यापन वार्ता के दौरान तैयार किए गए दो पेन ड्राइव में ही इस वार्ता को रिकार्ड किया गया। जिसमें एक को आरोपी के लिए व एक अनुसंधान अधिकारी के लिए रखा जाएगा। मूल मैमोरी कार्ड की हैजवैल्यू निकाली गई। वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को एक प्लास्टिक बॉक्स में रखकर उसे एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट किया गया, नमूना सिल अंकित की गई। कार्यवाही 04.10 पीएम पर पूर्ण की गई। विडियोग्राफर श्री देवेन्द्र फतनानी विडियो रिकार्डिंग का मूल मैमोरी कार्ड व उस विडियो रिकार्डिंग के तैयारशुदा दो पेन ड्राइव लेकर कार्यायल में हाजिर आया। गवाह श्री हेमन्त कुमार टाक व श्री सुरेश कुमार नायक की मौजूदगी में विडियो रिकार्डिंग के मूल मैमोरी कार्ड को एक प्लास्टिक बॉक्स में रखकर उसे

एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट किया गया, नमूना सिल अंकित की गई। परिवादी श्री कानाराम वैष्णव, गवाह श्री हेमन्त कुमार टाक, श्री सुरेश कुमार नायक व विडियोग्राफर श्री देवेन्द्र फतनानी को कार्यालय से रूख्सत किया गया। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि परिवादी कानाराम वैष्णव पुत्र नाथूराम उर्फ नाथूदास वैष्णव जाति वैष्णव उम्र 31 साल निवासी गाँव सागानेर तहसील सरवाड़ जिला अजमेर के पिताजी श्री नाथूराम उर्फ नाथूदास के नाम पर राजस्व ग्राम ढिगारिया स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 167, राजस्व ग्राम सनोदिया स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 177, राजस्व ग्राम सनोदिया स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 420 एंव राजस्व ग्राम सातोलाव स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1759,1790 मे विरासत का नामान्तकरण खोलने की एवज में आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर चौधरी जाति जाट उम्र 28 साल निवासी गांव पुरोहितान तहसील व पुलिस थाना फागी जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का सनोदिया तहसील सरवाड जिला अजमेर द्वारा रिश्वत राशि 10000 रूपये की मांग कर दिनांक 30.12.2024 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिश्वत राशि 8000 रूपये की मांग कर आज दिनांक 02.01.2025 को अटल सेवा केन्द्र (ग्राम पंचायत भवन) सातोलाव में परिवादी श्री कानाराम से रिश्वत राशि 8000 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जैकेट की दाहिनी जेब में रखे जो रिश्वत राशि दौरान ट्रेप कार्यवाही बरामद की जाकर जब्त की गई है। आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी के दाहिने हाथ के धोवण का रंग गुलाबी एंव बांये हाथ एंव पहनी हुई जैकेट बरंग काला की दाहिनी जेब के धोवण का रंग मटमैला होना पाया गया है, जो, आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित करना पाया गया है। अतः आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर चौधरी जाति जाट उम्र 28 साल निवासी गांव पुरोहितान तहसील व पुलिस थाना फागी जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का सनोदिया तहसील सरवाड जिला अजमेर के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु निवेदन है। भवदीय, (रूप सिंह) पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।.......... कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रूप सिंह, पुलिस उप अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमय 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर चौधरी जाति जाट उम्र 28 साल निवासी गांव पुरोहितान तहसील व पुलिस थाना फागी जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का सनोदिया तहसील सरवाड जिला अजमेर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राकेश वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू. अजमेंर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 48 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 06-09 दिनांक 03-01-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर । 2- जिला कलैक्टर, अजमेर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस प्रथम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेंर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Rakesh Kumar Verma **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I
Date: /2025

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1997				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐं)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)